

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार,19 जनवरी, 2018 ई0 पौष, 29, 1939 शक सम्वत्

<u>उत्तराखण्ड शासन</u> <u>विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग</u> संख्या 70 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2017 <u>देहरादून, 19 जनवरी,2018</u>

<u>अधिसूचना</u> विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित सरदार भवान सिंह विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को दिनांक 18 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2018 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 सन् 2018)

उत्तराखण्ड में गौरव भारती शिक्षा संस्थान सोसाईटी, देहरादून द्वारा प्रयोजित एक अल्पसंख्यक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

1.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय" अधिनियम, 2016 है।
- (2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाय।

परिभाषाएं

- 2. जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-
 - (क) "विद्या परिषद" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद अभिप्रेत है;
 - (ख) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय के अध्धयन बोर्ड, योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड अभिप्रेत है;
 - (ग) "कुलाधिपति" "कुलपति" तथा "प्रति कुलपति" से क्रमशः विश्वविद्यालय के "कुलाधिपति", "प्रति कुलपति अभिप्रेत है;
 - (घ) "कोर्ट" से विश्वविद्यालय की कोर्ट अभिप्रेत है;
 - (ड.) "निदेशक" / "प्राचार्य" से संस्था, महाविद्यालय, पॉलिटैक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति के रूप में कार्य करने के लिए प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (च) "विभाग" से अध्धयन विभाग अभिप्रेत है जिसमें अध्धयन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मलित हैं;
 - (छ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक और कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;
 - (ज) "कार्य परिषद" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद अभिप्रेत है;
 - (झ) "संकाय" से विश्वविद्यालय की संकाय अभिप्रेत है;
 - (ञ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय के शोधार्थी / छात्रों के निवास अभिप्रेत है;
 - (ट) "संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;

- (ठ) "विहित" से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "अभिलेखों और प्रकाशनों" से विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों अभिप्रेत है:
- (ढ) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गौरव भारती शिक्षा संस्थान, सोसाइटी, देहरादून अभिप्रेत है;
- (ण) "परिनियमों और अध्यादेशों" से तत्समय प्रवृत्त क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों अभिप्रेत है;
- (त) "छात्र" से विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रर में दर्ज किसी छात्र अभिप्रेत है;
- (थ) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से आचार्यों, सहयुक्त आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक अचार्यों, प्राध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदिभिहित किया जाए:
- (द) "कोषाध्यक्ष" "कुलसचिव", "उपकुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" से कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उपकुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्कालयाध्यक्ष या कुलानुशासक अभिप्रेत है;
- (ध) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा स्थापित सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय अभिप्रेत है:
- (न) "कुलाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3

- (1) उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून में सोसाईटी द्वारा सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड के नाम से स्थापित की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय स्थापना के लिए शर्तें

- प्रायोजक संस्था, सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा या उसके द्वारा पूरी कर ली गयी है——
- (क) विश्वविद्यालय के लिए न्यूनतम 10 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व है;
- (ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर न्यूनतम 20000 वर्ग मीटर कारपेट ऐरिया में भवन निर्माण जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए है;
- (ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम चार करोड़ रूपये की लागत से कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में उपस्करों की स्थापना;
- (घ) राज्य सरकार सोसाइटी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित समस्त शर्तें पूरी करने पर सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं सम्बंधित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त संतुष्ट होने पर सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5.

- (1) राज्य सरकार सोसाइटी द्वारा धारा (4) में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी करने के प्रस्ताव एवं संबन्धित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त ही, प्राधिकार पत्र जारी करेगी।
 - (2) राज्य सरकार, से विश्वविद्यालय के संचालन प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही सोसाइटी विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

- 6. विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझें, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी व्यवस्थाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रचार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा—
 - (क) नये पाठयकमों की संरचना, अध्ययन एवं सीखने की नई पद्वति ;
 - (ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;
 - (ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन;
 - (घ) राष्ट्रीय एकीकरण धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव और नैतिकता की अभियत्रीकरण: और
 - (ड.)सिख अल्पसंख्यकों को उनके समग्र विकास के लिए मुख्य धारा से जोड़ना, साथ ही साथ भारत के सिख समुदाय के विकास के लिए सभी आधुनिक और श्रेण्य शिक्षा प्रदान कर उनका उथान करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

- 7. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:--
 - (क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार की निमित्त व्यवस्था करनाः
 - (ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि पाठ्यक्रमों का संस्थागत केन्द्र द्वारा एवं राज्य के भीतर मुख्य परिसर से इतर आफ कैम्पस सेंटर / दूरस्थ शिक्षा का संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमित के उपरांतर नियमानुसार किया जायेगा।
 - (ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर, एमेरिट्स की उपाधि से सम्मानित करना।
 - (घ) विश्वविद्यालय अपने नियमों के अधीन परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धित के आधार पर व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं में उपाधियों को प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारणों से इन डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं की उपाधियों को वापस लेना।

- (ड.) परिनियमों द्वारा विहिति रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्ताएं प्रदान करना।
- (च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी हैं।
- (छ) विश्विद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहयुक्त आचार्य पद, उपचार्य पद, सह आचार्य, प्रध्यापक पद और अन्य अध्यापन का शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिये नियुक्तियाँ करना।
- (ज) प्रशासनिक लिपिक वर्गीय और पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना।
- (झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना।
- (ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना।
- (ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उददेश्य को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो।
- (ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना।
- (ड) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, छात्रावासों/आवासों की स्थापना, तथा उनका पर्यवेक्षण करना, अनुरक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नित के लिए व्यवस्था करना।
- (ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या ईकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।
- (न) परिनियमों के अनुसार केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय घोषित करना।
- (त) विश्विद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है।
- (थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना।
- (द) छात्राओं एवं सिख समुदाय के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसे विश्वविद्यालय वांछनीय समझे।
- (ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा

विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय।

- (न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्निति के लिये व्यवस्था करना।
- (प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का जिसके अन्तर्गत न्यास और बन्दोबस्ती सम्पतियां भी हैं, अर्जन धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना।
- (फ) विश्वविद्यालय के प्रायोजनों के लिए सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय सम्पत्ति की प्रतिभृति, उसके धन पर उधार लेना या बन्धक रखना।
- (ब) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए संविदा या अन्य किसी आधार पर विजिटिंग प्रोफेसर, ऐमेरिटस प्रोफेसर, परामर्शकों, विद्वानों एवं कलाकारों आदि को नियुक्त करना।
- (भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों जो विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से अनुमोदित हो।

प्रवेश और मानक

8.

9.

- (1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रदेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।
- (2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वार दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भारतीय फार्मेसी परिषद् तथा विधिक निकाय इत्यिदि के दिशा—निर्देशों के अनुसार हो।
- (3) अध्यापक—छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा—निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पक्षावलम्बियों के लिये होगा

विश्विद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहाँ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को सिख अल्पसंख्यक समुदाय को विभिन्न पादों पर नियुक्तियों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में आरक्षण के लिए समुचित उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी जो 50 प्रतिशत से अनधिक हो।

कुलाध्यक्ष

- 10. (1) उत्तराखण्ड राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।
 - (2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, शालीनता और समुचित कार्यप्रणाली के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय या उसके द्वारा

अनुरक्षित किन्हीं संस्थानों महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट विवादित मामलों में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

- 11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे-
 - (क) कुलाधिपति;
 - (ख) कुलपति;
 - (ग) प्रति कुलपति;
 - (घ) निदेशक / प्रधानाचार्यः;
 - (ड.) कुलसचिव ;
 - (च) कोषाध्यक्ष;
 - (छ) संकायाध्यक्ष;
 - (ज) परीक्षा नियंत्रकः;
 - (झ) मुख्य नियंता;

12.

(ञ) वित्त अधिकारी ।

कुलाधिपति

- (1) कुलाधिपति के पद पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।
- (2) कुलाधिपति सोसाइटी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।
- (3) कुलाधिपति सोसाइटी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
- (4) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कुलाधिपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से तीन वर्ष की अविध तक पद धारण करेगा एवं पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि कुलाधिपति अपने पद की अविध समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर लें।

- (5) कुलाधिपति अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अन्तरिम कार्य परिषद का गठन करेगा।
- (6) कुलाधिपति यदि उपस्थित है, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभपतित्व करेगा।

कुलपति

- 13. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाय।
 - (2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और

विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् एवम् कार्यकारी परिषद और योजन बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रक रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपित की राय ने किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, कोई प्राधिकारी या व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपित द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भी कुलाधिपित को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील कर सकता है। कुलाधिपित, कुलपित द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

- 14. (1) प्रतिकुलपित की नियुक्ति कुलपित द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियाँ का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसािक पिरिनियमों में विहित किया जाय।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपित आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
 - (3). प्रतिकुलपति जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।
 - (4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा ट्रस्ट द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक / प्राचार्य

15 निदेशक / प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमों में विहित की जाय।

कुलसचिव

- 16. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसाकि परिनियमों में विहित किया जाय।
 - (2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।
 - (3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17. प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष	18.	कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसाकि परिनियमों में विहित किया जाय।					
परीक्षा नियंत्रक	19.	परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसाकि परिनियमों में विहित किया जाय।					
मुख्य नियंता	20.	मुख्य नियंता की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसाकि परिनियमों में विहित किया जाय।					
वित्त अधिकारी	21.	वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रये करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसाकि परिनियमो में विहित किया जाय।					
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	22.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखत प्राधिकारी होंगे:					
		(क) कोर्ट ;					
		(ख) कार्य परिषद्;					
		(ग) विद्या परिषद् ;					
		(घ) वित्त समिति ;					
		(ड.) नियोजन बोर्ड ;					
		(च) संकाय बोर्ड ;					
		(छ) प्रवेश समिति ;					
		(ज) परीक्षा समिति ; और					
		(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।					
कोर्ट	23.	(1) कोर्ट के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित की जाय।					
		(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, यथा:—					
		(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय—समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;					
		(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;					
		(ग) ऐसे किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना जो उसे परामर्श हेतु सदर्भित किये जाय;					
		(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।					

(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य

कार्य परिषद

24.

ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

25.

27.

विद्या परिषद

- (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का सम्न्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।
 - (2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जेसा विहित किया जाय।

वित्त समिति

- 26. (1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।
 - (2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

- (1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।
- (2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किये जाएं।

संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, 28. परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी संकाय परिषद्, प्रवेश सिमति, परीक्षा सिमति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएें।

प्राधिकारी को परिनियम बनाने 29. की शक्ति

- (1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिये परिनियम बनाएगी तथा प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्—
- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय—समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य।
- (ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले निके लिये उपबन्ध करना आवश्यक हो।
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और परिलक्षियाँ।
- (घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ।
- (ड.) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना का दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति।

- (च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्तिक लोगों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी है।
- (छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाला सिद्धान्त।
- (ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया।
- (झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया।
- (ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना।
- (ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना।
- (ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना।
- (ड.) छात्रों के अन्य अनुशासन को बनाये रखना।
- (ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं / महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना।
- (ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और
- (त) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हों।
- (3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो आर इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।
- (4) पूर्वगामी उपधाराओं में अनतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दे सकता है और यदि कार्यपरिषद् निर्देश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निर्देश को कार्यन्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात तद्नुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

30

इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी मामले के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात:—

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन।
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियाँ, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना।
- (ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम।
- (घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय।
- (ड.) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों के लिये प्रभार्य शुल्क।
- (च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्ते।
- (छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमांकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है।
- (ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्ते।
- (झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठयक्रमों को विहित करना।
- (ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ।
- (ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना।
- (ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभामिता की रीति।
- (ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाय के सुजन, संरचना और कृत्य।
- (ढ) परीक्षकों, अनुसीनकों, अन्तिनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रनिक।
- (ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।
- (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् सभा को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।
- (2) सभा अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत

वार्षिक रिपोर्ट

31

करेगी।

32.

33.

34.

वार्षिक लेखा

- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेख और तुलना —पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेगें और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी तथा कार्य परिषद द्वारा उन पर अपनी अभियुक्तियों के साथ क्लाध्यक्ष व राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।
- (2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की एक प्रति कार्यपरिषद् के प्रेक्षण सहित सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा / काम पर लगाया जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपित को निर्दिष्ट किया जायेगा जो मामले को सन्दर्भित किये जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।
- (3) व्यधित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।
- (4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकिस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
- (5) कुलपित के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपित को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपित का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अपील करने का अधिकार

- (1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपित को यथास्थिति उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए अपील कर सकता है।
- (2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन 35.

विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन, कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के 36. गठन के बारे में विवाद यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन 37.

जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

38.

42.

43.

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त या नाम निर्दिष्ट या सहयोजित किया था ऐसी अविध के लिए जो नियुक्त या सहयोजित किया गया हो यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता 39.

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को 40. प्रमाणित करने की रीति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन सूचना कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन सूचना, आदेश, कार्यवाही संकल्प या दस्तावेज को या रिजस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित मामले और संव्यवहार के जहां मूल प्रस्तुत किया जाय, साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का 41. प्रकाशन

- (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नया परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

प्रस्तावक ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड धनराश रूपये दो करोड़ की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी जिसकी अविध पांच वर्ष की होगी, उसके उपरांत उसे पुनः पांच वर्ष के लिये नवीनीकरण कराया जायेगा।

सामान्य निधि

- (1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी अर्थात:—
 - (क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित किया जाय;
 - (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

- (ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।
- (2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

44.

45.

48.

49.

- (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जामा की जायेगी अर्थात:—
 - (क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया किया जा सकता है।
 - (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि।
 - (ग) सोसाईटी द्वारा किये गये सभी अंशदान।
 - (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान, और
 - (ड.) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।
- (2) विकास निधि में समय—समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्ते

46. विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वानित्याधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

- 47. विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।
- सूचना और अभिलेख मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां
- (1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करें जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।
- (2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 52 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझें।

विश्वविद्यालय का विघटन

(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैंच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय 50. का व्यय

- (1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा।
- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियां या अस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना 51.

- (1) जहाँ राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।
- (2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो काम पर यदि राज्य सरकार का समाधन हो जाय कि प्रथम दृष्ट्या विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में दुष्प्रबंधन या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो यह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।
- (3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथित उल्लंघन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।
- (4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टितः निम्नलिखत मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाली सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थातः—
 - (क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पूर्वक परीक्षण करना;
 - (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;
 - (ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;
 - (घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
 - (ड.) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

- (5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधन हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को निर्देश देगी की वह आवश्यक सुधार करें और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दें।
- (6) यदि जांचोपरांत यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकेगी।
- (7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधियाँ विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा न करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की अस्तियों या सम्पत्तियाँ का निस्तारण कर सकेगी।
- (8) उपधार (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान सभा के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति राज्य सरकार समय—समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जैसा यह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

किनाईया दूर करने की शक्ति 53.

52.

(1) राज्य सरकार ऐसी किसी किटनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त)के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालाविध जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहें यह उपरान्तर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें प्रभावी होंगे;

परन्तु यह कि इस अधिनियम में प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपितत नहीं की जायेगी कि कोई कितनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गयी है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

THE SARDAR BHAGWAN SINGH UNIVERSITY ACT, 2016 (UTTARAKHAND ACT NO. 12 OF 2018)

AN ACT

to establish and incorporate a Minority Teaching University sponsored by Gaurav Bhart Shiksha Sansthan, Dehradun in Uttarakhand and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

It is hereby enacted by the Uttrakhand Legislative Assembly in the Sixty-eighth Year of the Republic of India.

Short Title and 1 commencement

- (1) This Act may be called the "Sardar Bhagwan Singh University" Act 2016.
- (2) It shall be come into force on such date as the State Government may by notification in the official Gazette, appoint.

Definitions

- 2 In this Act, unless the context otherwise requires:-
 - (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
 - (b) "Board" means the Board of Studies and the Planning Board, or any other Board of the University;
 - (c) "Chancellor", "Vice Chancellor" and "Pro Vice Chancellor "means respectively the Chancellor, Vice Chancellor and the Pro Vice-Chancellor of the University.
 - (d) "Court" means the Court of the University;
 - (e) "Director / Principal" means the Head of Institution, College, School, Polytechnic and Industrial Training Institute or the person appointed for the purpose to act as such in his absence;
 - (f) "Department" means a Department of Studies, and includes a Centre of Studies and Research;
 - (g) "Employee" means any person appointed by the University, and includes a teacher or any other member of the Staff of the University;
 - (h) "Executive Council" means the Executive Council of the

University;

- (i) "Faculty" means a Faculty of the University;
- (j) "Hostel' means Scholars / Students Hostel of the University;
- (k) "Institution" means an Academic Institution established and maintained by the University;
- (1) "Prescribed" means prescribed by Statutes;
- (m) "Records and Publications" means the Records and Publication of the University;
- (n) "Society" means Gaurav Bharti Shiksha Sansthan, Dehradun registered under the Societies Registration Act,1860;
- (o) "Statutes" and "Ordinances" means respectively, the Statutes and Ordinances of the University for the time being in force;
- (p) "Student" means a student enrolled in the Register of the University;
- (q) "Teacher of the University" means Professor, Associate Professors, Reader, Assistant professor, Lecturer and such other persons as may be appointed for imparting education / instructions or conducting research in the University and is designated as Teacher by the Ordinances;
- (r) "Treasurer", "Registrar", Deputy Registrar", Finance Officer", "Controller of Examinations", Librarian", or the Proctor" means respectively the Treasurer, the Registrar, the Deputy Registrar, the Finance Officer, the Controller of Examinations, the Librarian or the Proctor of the University;
- (s) "University" means the Sardar Bhagwan Singh University, Uttarakhand established under this Act by this society;
- (t) "Visitor" means the Visitor of the University.

Establishment of University

3

(1) There shall be established in Dehradun in Uttarakhand ,a University by the society ,in the name of Sardar Bhagwan Singh University, Uttarakhand.

(2) The University shall be a corporate body.

Conditions for the establishment of the University

- The sponsoring body, the society shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfill the following conditions namely:
 - (a) duly possesses minimum 10 acres contiguous land for the University;
 - (b) construct on land referred to in clause (a)buildings of more than 20000 sqm carpet area ,out of which minimum 50 percent ,shall be for academic and administrative purpose;
 - (c) install equipments in offices and laboratories of the building as specified in clause (b) worth a minimum rupees four crore;
 - (d) Sardar Bhagwan Singh University has been established on the satisfaction of the State after examining the proposal and related records of Sardar Bhagwan Singh University on fulfilling the above mentioned all conditions by the Society.

Starting of the University

5

6

- (1) The University shall start operation after the State Government issues to the Society a letter of authorization for the commencement of the functioning of the University.
- (2) The State Government shall issue the letter of authorization after verifying the proposal along with documents received from the Society to the effect that all conditions referred to in section 4 have been fulfilled.

Objects of the University

- The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge by providing instructional, research and extension of facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavour to provide to students and the necessary atmosphere and facilities for the promotion of:-
 - (a) innovations in education leading to restructuring of course methods of teaching and learning and integral developed personality;
 - (b) studies in various disciplines;
 - (c) inter disciplinary studies;
 - (d) national integration, secularism, social equity and enginee international understanding and ethics;

(e) Sikh Minority, community so as to bring it into the main stre also to ensure overall development thereof by imparting all and classical education.

Powers of University

- 7 The University shall have the following powers namely:-
 - (a) to provide for instruction and to make provisions for research and advancement and dissemination of knowledge according to the regulations of the University may determine from time to time.
 - (b) Sciences, technology, Medicine, Dentistry, Management, Miscellaneous and other professional courses and History, Culture, Philosophy, Art etc; courses shall be conducted by the institutional centre and the of campus centre/ distance education other than the main campus within the State shall be conducted according to the rules after the prior permission of University Grant Commission;
 - (c) to honour educational stalwarts and persons of academic eminence with the decoration of Professor Emeritus:
 - (d) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinction on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on persons ,and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
 - (e) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed;
 - (f) to provide education including correspondence and such other courses to such persons, who are not members of the University;
 - (g) to institute Directorships, Principalships, Professorships, Associate professorships, Readerships, Assistant Professorships, Lectureships and other teaching or other academic posts required by the University and to make appointment for the same;
 - (h) to create administrative, ministerial and other posts and to

- make appointments thereto;
- (i) to appoint / engage persons working in any other University or authority or organization having specific knowledge permanently or for a specific period;
- (j) to co-operate, collaborate or associate with any other University or authority or institution in such manner and for such purposes as the University may determine;
- (k) to establish and maintain schools, institutions and such centres, speciliazed laboratories or other units for research and instructions as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects:
- (l) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (m) to establish, maintain and supervise residence / hostels for students of university and promote their health and general welfare activities;
- (n) to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- (o) to declare a centre, an institution, a department, or school as the case may be in accordance with the Statutes;
- (p) to determine standards for admission into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing;
- (q) to demand and receive payment of fees and other charges;
- (r) to make special arrangements in respect of woman students and students belonging to Sikh minority community as the University may consider desirable;
- (s) to regulate and enforce discipline amongst the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary by the University;
- (t) to make arrangements for promoting the health and general

welfare of the employees of the University;

- (u) to receive donations and to acquire hold, manage and dispose of any property moveable or immovable for the welfare of the University;
- (v) to borrow by way of hypothecation or mortgage against the property of University with prior approval of the Society
- (w) to appoint either on contract or otherwise visiting Professor Emeritus Professors, consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;
- (x) to do all such acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University and which may be permitted by the Executive Council of the University.

Admissions and Standards

8

9

- (1) Admission to the different academic programmes shall be made in accordance with the laws for the time being in force.
- (2) The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the University Grants Commission, Medical Council of India, Dental Council of India, All India Council for Technical Education, National Council of Teacher Education, Bar Council of India, Pharmacy Council of India, Nursing Council of India etc as the case may be.
- (3) The teacher-student ratio shall be in accordance with the guidelines of the University Grants Commission or specific Council.

University open to all Classes and creeds

The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class ,and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer , a teacher, staff member, student ,or to hold any office therein or to graduate thereat;

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making appropriate provisions for reservation of persons belonging to sikh minority community in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any courses of study in the

University, which cannot exceed more than fifty per cent.

The Visitor

- 10 (1) The Governor of the Uttarakhand shall be Visitor of the University.
 - (2) The Visitor shall have the right to visit the University or any Institution, College, Polytechnic or Industrial Training Institute maintained by the University to ensure the standard of education, discipline, decorum and proper functioning of the University.
 - (3) The Visitor have the right to take any action in the cases of disputes referred to him by Chancellor.

Officers of the University

- 11 The following shall be the officers of the University:-
 - (a) Chancellor
 - (b) Vice-Chancellor
 - (c) Pro-Vice-Chancellor
 - (d) Director/ Principal or Head of the Institution
 - (e) Registrar
 - (f) Treasurer
 - (g) Academic Deans
 - (h) Controller of Examination
 - (i) Chief Proctor
 - (i) Finance Officer.

The Chancellor

12

- (1) The Chancellor shall be a Person of eminence and shall be appointed by the Committee of Management of the Society in such manner as may be prescribed.
 - (2) The Chancellor shall hold office during the pleasure of the Society.
 - (3) The Chancellor may by writing under his hand addressed to the Society, resign his office.
 - (4) Subject to the provision of this section, the Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment;

Provided that the Chancellor shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters into his office.

- (5) The Chancellor, by virtue of his office, be the head of the University and shall Constitute interim Executive Council
- (6) The Chancellor shall, if present, preside at the Convocation of the University held for conferring degrees.

The Vice-Chancellor

- 13. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed in the Statutes for a period of three years.
 - (2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairman of the Executive Council and the Academic Council of the University, and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
 - (3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter ,exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters;

Provided that any person in the service of the University who is aggrieved by action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Chancellor within one month from the date on which a decision on such action is communicated to him and there upon the Chancellor may confirm, modify or reverse action taken by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

The Pro Vice-Chancellor

- 14 (1) The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and performs such functions as may be prescribed.
 - (2) The Pro Vice-Chancellor, appointed under section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.
 - (3) The Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day duties as and when required by the Vice-Chancellor.
 - (4) The pro Vice-Vice Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by the Society.

Director/ Principals or Head of Institutions	15	Director or Head of Institutions shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed in the Statutes.					
The Registrar	16	(1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed in the Statutes.					
		(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.					
		(3) The Registrar shall be the ex-officio Secretary of the Executive Council and the Academic Council.					
Dean of Faculties	17.	Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed in the Statutes.					
The Treasurer	18.	The Treasurer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed in the Statutes.					
Controller of Examination	19.	The Controller of examination shall be appointed in such manne and shall exercise such powers and perform such functions a may be prescribed in the Statutes.					
Chief Procter	20.	The Chief Procter shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed in the Statutes.					
Finance Officer	21.	The Finance officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed in the Statutes.					
Authorities	22.	The following shall be the authorities of the University:-					
of the University		(a) Court					
·		(b) Executive Council					
		(c) Academic Council					
		(d) Finance Committee					
		(e) Planning Board					
		(f) Board of Faculties					

Admissions Committee

Examination Committee

(g)

(h)

(i)	Such other authorities as may be declared by the Statutes to
	be authorities of the University.

The Court

- 23 (1) The Constitution of the Court and the term of the members shall be such as may be prescribed.
 - (2) Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following power and functions, namely:-
 - (a) to review from time to time ,the board policies and programmes of the University and suggest measures for the working , improvement and development of the University;
 - (b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and the Annual Accounts of the University and Audit Reports of such accounts;
 - (c) to advise the Visitor in respect of any matter which may be referred to its advice.
 - (d) to perform such other functions as may be prescribed.

The Executive Council

- 24 (1) The Executive Council shall be the principal executive of the University.
 - (2) The Constitution of the Executive Council, the term of office its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.

The Academic

- 25. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions of the Statutes and the Ordinances, Co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University;
 - (2) The Constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.

The Finance Committee

- 26. (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.
 - (2) The Constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed.

The Planning Board

- 27. (1) The Planning Board shall be principal planning body of the University. The Board shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission or the respective Councils.
 - (2) The Constitution of the Planning Board term of office of its

Council

members and Its other powers and duties shall be such as may be prescribed.

Board of Faculty Admission Committee examination Committee and other authorities of the University

28. The Constitution, powers and functions of the Board of Faculties, the Admission Committee, the Examination Committee and of such other authorities of the University which may be declared by the Statutes to be the authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Power to make Statutes

- 29. (1) The Executive Council with the approval of the Chancellor shall make the Statutes for carrying out the purposes of this Act and the Statutes shall be presented firstly for the approval of State Government.
 - (2) Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters namely:-
 - (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time.
 - (b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities, filling of vacancies of members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide;
 - (c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;
 - (d) the appointment of teachers of the University and other academic and administrative staff; and their emoluments;
 - (e) the appointment of teachers and other academic and administrative staff working in any other University or Institution for a specific period for undertaking a joint project;
 - (f) the conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary actions;
 - (g) the principles governing seniority of service of employees;
 - (h) the procedure for settlement of disputes between employees or students of the University.

- (i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or student against the action of any officer or authority of the University;
- (j) the conferment of honorary degrees;
- (k) the withdrawal of degree, diploma, certificate and other academic distinctions;
- (l) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (m) the maintenance of discipline among the students;
- (n) the establishment and abolition of Departments, Centres and other constituted Institutions / College etc;
- (o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University and
- (p) all other matters, which may be prescribed.
- (3) The Executive Council shall not make, amend or repeal any statute affecting the powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.
- (4) Notwithstanding anything contained in the foregoing subsections the Chancellor may direct the University to make provisions in statutes, in respect any matter specified by him and if the Executive Council is unable to implement such a direction within ninety days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with the direction make or amend the Statutes accordingly as he may deem fit, after taking approval from the Visitor.

Powers to make Ordinances

- 30. Subject to the provision of this act, the Statutes and the Ordinances shall be made by the Executive Council with prior approval of the Chancellor which may provide for all or any of the following matters namely:-
 - (a) the admission of students of the University and their enrolment as such;
 - (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas

- and certificates of the University;
- (c) the medium of instruction and examination;
- (d) the award of degree, diploma ,certificate and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examination, degrees, diplomas and certificates of the University;
- (f) the conditions of award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (h) the conditions of residence of the students of the University;
- (i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them within the University;
- (j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision have been made in the Statutes;
- (k) the establishment for Centre of studies, Board of Studies, Interdisciplinary Studies, Special centres, Specialized Laboratories and other Committees;
- (l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or associations:
- (m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary, for improving the academic mileage of the University;
- (n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators;
- (o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes.

Annual Report

- 31. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed and the Court shall consider the report in its annual meeting.
 - (2) The Court shall submit the annual report to the Chancellor along with its comments, if any.

Annual Accounts

- 32. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall ,once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountant of repute.
 - (2) A copy of the annual accounts, together with the audit report thereon shall be submitted to the Court and the Chancellor along with the observations of Executive Council.

Conditions of Service of Employee

- 33. (1) Every employee of the University shall be appointed / engaged as per provisions of the Statutes.
 - (2) Any dispute arising between the University and any of the employees appointed substantively, shall be referred to the Executive Council who shall decide the dispute after affording an opportunity to the employee with three months from the date of its reference.
 - (3)The aggrieved employee, may file an appeal against the order of the Executive Council to the Chancellor.
 - (4)Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on adhoc or Part time or casual basis shall be heard and decided finally by Chancellor.
 - (5) The decision of the Chancellor shall be final and no suit shall lie in any court In respect of the matters decided by the Chancellor.

Right to Appeal

34. (1) Any student or candidate for any examination, whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Academic Council, Proctorial Board or Controller of Examination as the case may be and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him, in writing appeal to the Vice-chancellor who may confirm, modify or reverse the decision to the aforesaid authorities or the Committee, as the case may be.

(2)) Any	decision	taken	by	the	Vice-Ch	ancellor	shall	be	final	l.
-----	-------	----------	-------	----	-----	---------	----------	-------	----	-------	----

Employee Provident Fund and Pension

35. The University may constitute for the benefit of its employees such pension or provident Fund or provide such insurance schemes as may be prescribed.

Disputes as to the Constitution Of Authorities

36. If any question arises as to whether any person has been duly appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University ,the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereupon shall be final.

Constitution of Committees

37. Where any authority of the University is given power under this Act or the Statute to appoint Committees such Committees shall save as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other persons ,as the authority in each case may think fit.

Filling of Vacancies

38. All vacancies among the members (other than ex-officio) or any authority or other body of the University shall be filled as soon as may be convenient by the person or body who appointed, nominated or co-opted the members whose place has become of such authority or body for the remaining term for which he has been appointed or co-opted.

Invalidity of Proceedings

39. No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Mode of Proof of University records

40. A copy of any receipt, application, notice, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University or other documents in possession of University, if certified by the Registrar, shall be received as prima-facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters.

Publication of Statutes and Ordinances

- 41. (1) Every Statute or Ordinance made under this Act shall be made available in writing.
 - (2) Each new Statute or ordinance made under this Act shall be enforced as it is made by the competent Authority,

Permanent Endowment Fund

42. A permanent endowment Fund of pledge amount rupees Two Crore shall be established with the name of State Government as a nationalized bank guarantee by the proposer Trust whose duration shall be of five years, thereafter it shall be renewed for five years.

General Fund

43. (1) The University shall establish a general fund to which the

- following amount shall be credited ,namely:-
- (a) all fees which may be charged by the University;
- (b) all sums received from any other source.
- (c) All contributions made by the Society; and
- (d) All contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.
- (2) The moneys credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the University.

Development Fund

- 44. (1) The University shall also establish a development fund to which following Moneys shall be credited ,namely:-
 - (a) development fees, which may be charged from students;
 - (b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;
 - (c) all contributions made by the society;
 - (d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and
 - (e) all incomes received from the permanent endowment fund.
 - (2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

Maintenance of fund

45. The funds established under section 42,43 and 44 shall subject to general supervision and control of the Court and be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Financial Condition

46. The University shall be a self financed University and will not be based on any Grant-in-aid or any financial assistance from the State Government or any other Body Corporation owned and controlled by the State Government.

Fees

47. The fees charged for different academic programmes shall be in accordance to laws for the time being in force.

Power of the State Govt. to call for Information and records

48. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such information or records relating to the administration or finances and other affairs of the University as the State Government may call for.

(2) The State Government, if it is of the view that there is a violation of the provisions of this Act or the Statutes or Ordinances made there under may issue such directions to the University under section 52 as it may deem necessary.

Dissolution of the University

- 49. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the governing. Its constitutions or incorporation, it shall give at least six months written Notice to the State Government.
 - (2) On receipt of notice received to in sub-section (1) the State Government shall make such arrangements for Administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular their courses of studies in such manner as may be prescribed.

Expenditure of the University during dissolution

- 50. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over the liabilities of the University under section 49 shall be met out from the permanent endowment fund, the general fund and the development fund.
 - (2) if the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University such expenditure may be met by disposing of the properties or Assets of the University by the State Government.

De-recognition of the University by the State Government

- 51. (1) Where the state Government is satisfied that the University is not functioning in accordance with the provisions of this Act on receipt of a complaint with respect to the Management of the University, it shall require the University to show cause within such time, which shall not be two months ,as to why the University should not be de-recognized.
 - (2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub Section (1), the State Government is satisfied that a prima-facie case of mismanagement or violation of the provisions of this Act the rules the Statutes, the ordinances thereunder is made out, it shall order such enquiry as it deems necessary.
 - (3) For the purposes of an enquiry under sub-section (2), the State Government shall by notification, appoint an officer or authority as the enquiring authority to enquire into and report upon the allegations of mismanagement, violation of the provisions of this Act, the Rules, the Statutes, the Ordinances or any direction issued there under.
 - (4) Every inquiring authority appointed under sub-section (3)

shall while performing its functions under this Act, will have all the powers of Civil Court under the Code of Civil Procedure,1908 trying a suit and in particular In respect of the following matters, namely

- (a) Summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any office:
- (d) receiving evidence on affidavits;
- (e) any other matter which may be prescribed.
- (5) Where the State Government considers it necessary or expedient to suspend the Court for purposes of an inquiry with respect to the affairs of the University, it may by notification order the suspension of the Court as the case may be and make such arrangement for the administration of the University as it considers necessary till the conclusion of the inquiry.
- (6) if it is found after the inquiry that the University has intervene the Act continuously three times then the State Government may withdraw the recognization of the University with prior approval of the University Grant Commission.
- (7) During the period of the management of the University under sub-section(6), the State Government may utilize the permanent endowment fund, the General fund or the Development Fund for the purposes of the management of the affairs of the University. If the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Government may dispose of the assets or the properties of the University to meet the said expenses.
- (8) Every notification under sub-section (6) shall be laid before the House of State Legislature before being implemented.
- 52. The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University.

Powers of the State Government to issue directions on policy Power to remove difficulty

53. (1) The State Government may for the purpose of removing any difficulties particularly in relation to the transition from the provisions from Uttar Pradesh State Universities Act,1973 (As accepted in to by Uttarakhand Government) and from the provisions of Central Universities Act,2009 to the provisions of this Act direct that the provisions of this Act, shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaption's, whether by way of modifications, addition or omission as it may necessary or expedient;

Provide that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the House of State legislature as soon as may be after it is made.
- (3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.
